

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 171/2015

दायरा दिनांक : 05.08.2015

उनवान

मदन लाल पुत्र भंवर लाल, जाति किराड, निवासी कोटडी सूण्डा, तहसील बारां,
जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट - श्री मदन लाल गालव
 अभिभाषक रेस्पोंडेंट - पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 26.10.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 25.06.2015 प्रकरण संख्या 78/2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण सं0 131/2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2014 से अपीलांट को ग्राम कोटडी सूण्डा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 0.32 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 160/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.06.2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार

(भागवती जेठवानी)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा (राज०)

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । माननीय राजस्व मंडल ने ऐसे ही प्रकरण में आर. बी. जे. 2007 पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल कोटडीसूण्डा की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.08.2017 की मूल प्रति सलंगन है जिसके अनुसार ग्राम कोटडीसूण्डा के खसरा नम्बर 219 रकबा 0.32 हेक्टर भूमि पर प्रार्थी मदन लाल पुत्र भंवर लाल किराड काबिज है व उडद की फसल खड़ी है अतिकमी द्वारा अतिक्रमण नहीं छोड़ा गया है, जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट ने विवादित आराजी पर से कब्जा नहीं छोड़ा है । मुताबिक निर्णय तहसीलदार बारां व विद्वान जिला कलेक्टर, बारां अपीलांट पश्चातवर्ती अतिकमी है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 26.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



26/10/17

(भागवती जेठवानी)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा